

संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/जीडीएल/122/06/2023

Ref No.: IRDAI/NL/CIR/GDL/122/06/2023

दिनांक/Date: 05/06/2023

परिपत्र
Circular

सभी जीवन, साधारण बीमा कंपनियों और स्टैंड - अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सभी सीईओ/सीएमडी

All CEOs/CMDs of all Life, General Insurance Companies and Stand Alone Health Insurance Companies

विषय: बालासोर, ओडिशा में हाल में घटित रेल दुर्घटना विपत्ति (जून 2023) के पीडितों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश

Re: Guidelines on Insurance Claims of victims of recent Train Accident tragedy in Balasore, Odisha (June 2023)

उपर्युक्त विषय पर प्रेषित सूचना के उपरांत, हाल की उक्त रेल दुर्घटना के कारण लगभग एक हजार यात्रियों और रेल कर्मीदल के सदस्यों को मानव जीवन और क्षति की अत्यधिक हानि पहुँची है। बीमा उद्योग के लिए पात्र दावों का तत्काल पंजीकरण और निपटान सुनिश्चित करने के द्वारा प्रभावित बीमित व्यक्तियों की कठिनाइयों को कम करने हेतु त्वरित कदम उठाने की अत्यावश्यकता है।

In furtherance of communication sent on the captioned subject, the recent train accident, have caused immense loss to the human lives and injuries near to a thousand of the passengers and train crew members. There is an urgent need for the insurance industry to take immediate steps to mitigate the hardships of the affected insured population by ensuring immediate registration and settlement of eligible claims.

2. आपको सूचित किया जाता है कि आप निम्नानुसार दावों के त्वरित पंजीकरण और निपटान के लिए तत्काल कदम उठाएँ :-

You are advised to initiate immediate steps for quick registration and disposal of claims on the following lines:-

- बीमाकर्ता के स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत, जो प्रभावित लोगों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, एक समर्पित हेल्पलाइन की व्यवस्था करें। उक्त नोडल अधिकारी पात्र दावों की प्राप्ति, प्रसंस्करण और निपटान का समन्वय करेगा। बीमाकर्ता के नोडल अधिकारी और हेल्पलाइन संख्या के विवरण को वेबसाइट पर स्थान दिया जाए और साथ ही, उसके उचित प्रचार की व्यवस्था की जाए।

Please designate a dedicated help line under the supervision of a senior officer at the Insurer level who would act as a Nodal Officer for the affected people. The Nodal Officer would be coordinating the receipt, processing and settlement of all eligible claims. The details of the Nodal Officer and the helpline number of the insurer may be given due publicity including hosting on the website.



- ii. उक्त प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यालयों/शिविरों का विवरण तथा अन्य संबंधित विवरण को आपकी वेबसाइट, मीडिया के माध्यम से और राज्य सरकार के माध्यमों के द्वारा सार्वजनिक किया जाए जिससे दावों को फाइल करने में सहायता मिल सके।
Details of offices/ special camps set up for the purpose and other relevant details may be publicized through your website, media and through State Government channels to enable filing of claims.
- iii. यदि बीमाकृत व्यक्ति का नाम मृत अथवा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सूची में है तथा वह उपयुक्त/सरकारी प्राधिकारियों के द्वारा अभिनिधारित रूप में दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ियों में यात्रा कर रहा था तो दावों का संसाधन सक्रिय रूप से किया जाएगा।
Claims shall be processed proactively, if the Insured name is in the list of deceased or injured persons, and was travelling in the trains which met with accident as identified by the appropriate/Govt. authorities.
- iv. दावों के भुगतान/ लेखागत भुगतान शीघ्रातिशीघ्र संवितरित किये जाएँगे।
Claim payments/on account payments are disbursed at the earliest.
- v. आपसे यह भी अनुरोध है कि आप दावा फाइल करने की सरलीकृत प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए व्यापक जागरूकता का अभियान चलाएँ जिससे निकटतम शाखाओं में अथवा आनलाइन के माध्यम से दावे फाइल करने में जनता समर्थ हो सके।
You are also requested to launch Extensive Awareness explaining the simplified process to file a claim, to enable the public to file the claims at the nearest branches or through online.
- vi. हानि के परिमाण को मापने के लिए, सभी जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) को सूचित किया जाता है कि वे उक्त दुर्घटना से संबंधित बीमा दावों के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइट पर एक सप्ताह के लिए दैनिक आधार पर तथा उसके बाद एक महीने के लिए साप्ताहिक आधार पर संलग्न फार्मेट में प्रकाशित करें।
In order to gauge the magnitude of loss, all life and non-life insurers (including Standalone Health Insurers) are advised to publish the information on their website relating to insurance claims related to the accident on daily basis till one week and thereafter on weekly basis for a month in the format attached.
3. हमारा अनुरोध है कि आप सभी दावों के शीघ्र निपटान के लिए अत्यावश्यक कदम उठाएँ तथा ऊपर सूचित किये गये रूप में उनका विवरण प्रस्तुत करें।
We request you to take urgent steps for expeditious settlement of all claims and submit details of the same as advised above.

丘-मुख्य एम्बेसी

मुख्य महाप्रबंधक(गैर-जीवन)/CGM (Non-Life)